रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1984 (वैशाख 8, 1906)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1984 (VAISAKHA 8, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	425
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	539
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	9069
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	269
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	31
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	1477
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	69
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	425
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	539
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc of Government Officers issued by the Ministry of Defence	*
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9069
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .	269
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	33
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1477
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	69
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1984

आदेश

सं० 27/26/83-सी० एल०-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा 209 क के उद्देश्यों के लिये भारत सरकार वित्त मंत्रालय में श्री पी० सी० गुप्ता, उप निदेशक (लागत) को प्राधिकृत करती है। वह अपनी रिपोर्ट कम्पनी कार्य विभाग को प्रस्तुत करेंगे और इस सम्बन्ध में अपनी शक्तियों के निर्वहन और अपने कार्यों को करने में उक्त विभाग के नियंत्रणाधीन होंगे ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा वित्त मंत्रालय में उप निदेशक (लागत) श्री टी० एम० एस० कृष्णन के पक्ष में जारी पहले के आदेश संख्या 27/26/83-सी०एल०-II दिनांक 26-11-1983 को रद्द करती है ।

के० आर० ए० एन० अय्यर, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1984

सं० 9/1/84-के०से०-II—अगस्त, 1984 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन, अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम, 1971, द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति, आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 अगस्त, 1984 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(क) 1 अगस्त, 1984 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) के अवर श्रेणी लिपिक पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी 1 स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशत: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशत: उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी 2 अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशत: भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशत: उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी 3. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसमें 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा; अथवा

टिप्पणी 4. ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नि: संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में नि:संवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों।

(2) आयु

(क) यदि वह पैरा 1 में वर्णित किन्हीं भी सेवाओं में स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1-8-84 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1934 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) उपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1974 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर 1984 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मालावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मालावी, जेरे और इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत मे प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(10) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिको के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(11) किसी दूसरे देश के संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिको के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(12) 1971 में हुए भारत–पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलो में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(13) 1971 में हुए भारत–पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलाग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलो में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों,

(14) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(15) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(16) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो तो अधिक से अधिक 10 वर्ष,

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) टंकण परीक्षा—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षणशाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध) अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिये दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये है, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(9) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, के लिये, अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उस अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी मे, वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जायेगा जिसमें उसे परीक्षा मे बैठने के लिये अयोग्य करार दिया जायेगा।

9. उन उम्मीदवारो को छोड़कर जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करने हों, बाकी उम्मीदवारो को निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की चार अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची मे शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सके, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिये स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किये बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएं, इसका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नही कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया जाये।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र–व्यवहार नही करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नही मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जाच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा मे उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

किन्तु इस संबंध मे निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिये सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० स० लि० से०/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकारी न रखता हो, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नही होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

एच० जी० मंडल
अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1—नीचे परिच्छेद 2 बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा मे ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिये अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :

विषय		अधिकतम अंक	दिया गया समय
1		2	3
(1) निबन्ध तथा सार लेखन			
	(क) निबन्ध	50 100	2 घंटे
	(ख) सार लेखन	50	
(2) आलेखन व टिप्पणी तथा कार्यालय पद्धति		100	2 घंटे
(3) सामान्य ज्ञान		100	2 घंटे

टिप्पणी—निम्नलिखित तीनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिये टिप्पण, प्रारूप-लेखन तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा पर्यटन विभाग,

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, और

(3) निर्वाचन आयोग।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अर्थात् (1) निबन्ध तथा सार लेखन, अथवा (2) टिप्पणी लेखन/मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति अथवा (3) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न-पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिये होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिये।

टिप्पणी 2—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी मे अथवा हिन्दी (देवनागरी) मे लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन-पत्र के कालम 6 म स्पष्ट रूप में लिख देना चाहियें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3—एक बार रखा गया विकल्प अन्तिम माना जाएगा और आवेदन पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नही किया जायेगा।

टिप्पणी 4—प्रश्न-पत्र मे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे।

टिप्पणी 5—उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ मे लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग नंबर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जाएंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिये जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(1) निबन्ध तथा सारलेखन

(क) निबन्ध—विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन—सूक्ष्म सार लिखने के लिये सामान्यतः अनुच्छेद दिए जाएंगे।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति—इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारो का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा पर्यटन विभाग के उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिये कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर) सचिवालय

प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्टस् आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिये कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की हस्त-पुस्तिका और इस प्रयोजन के लिये राज भाषा के प्रयोग से संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

भारत के निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चाहिये कि वे कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर, टिप्पणियां तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से सम्बद्ध गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

(3) सामान्य ज्ञान :—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमत्ता पूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके लिये हिन्दी पाठ्य पुस्तकों प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नही अपितु उन प्रश्नों को बुद्धिमत्ता पूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

(औद्योगिक विभाग विकास)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1984

संकल्प

सं० रिफे० 4(4)/83—भारत सरकार के दिनांक 22-9-83 के संकल्प सं० रिफे० 4(4)/83 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय उद्योग भवन नई दिल्ली में अपर औद्योगिक सलाहकार, श्री सी० डी० आनन्द के स्थान पर औद्योगिक सलाहकार, श्री आर० थंजन को सदस्य बनाया जाये।

उपर्युक्त रिफेक्टरी नामिका में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करने का भी निर्णय किया गया है :—

(1) श्री एम० आर० सरकार
महा प्रबंधक (तकनीकी),
भारत रिफेक्ट्रीज लि०,
पोस्ट बाक्स नं०,
बोकारो स्टील सिटी—827001।

(2) श्री के० एस० स्वामीनाथन,
सहायक जनरल सुपरिंटेंडेंट (रिफेक्ट्रीज),
टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड,
जमशेदपुर।

(3) प्रतिनिधि,
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड
रांची।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० डी० चतुर्वेदी,
निदेशक प्रशासन

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1984

संकल्प

सं० 1-2/83-सी०डब्ल्यू०—राष्ट्रीय बाल नीति संकल्प दिनांक 22 अगस्त, 1974 में इन उपबन्धों के अनुसरण में कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सेवाओं का आयोजन और पुनर्विलोकन तथा समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्र बिन्दु और मंच प्रदान करने के वास्ते व्यवस्था की जाए, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 3 दिसम्बर, 1974 को एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना की गई थी।

2. राष्ट्रीय बाल बोर्ड का 25 मई, 1981 को पुनर्गठन किया गया था। इसने भारत में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयोग के कार्य करने जारी रखें।

3. राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना करने वाले पहले के आदेशों का अधिक्रमण करते हुए अन्यथा नीचे दिए अनुसार राष्ट्रीय बाल बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं :—

1. प्रधान मंत्री	अध्यक्षा
2. समाज कल्याण राज्य मंत्री	कार्यकारी अध्यक्षा
3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
4. वित्त मंत्री	सदस्य
5. उपाध्यक्ष योजना आयोग	सदस्य
6 श्रम मंत्री	सदस्य
7. समाज कल्याण उप मंत्री	सदस्य

8-17 बाल कल्याण का अनुभव रखने वाले 10 गैर-सरकारी सदस्य।

1. श्री हरि डांग,
रैक्टर,
सेंट पाल स्कूल,
जल पहाड़,
दार्जिलिंग–734103,

2. श्रीमती शान्ता गांधी
विगिन विला,
585, जामे जमशेद रोड़,
मांटूगा, बम्बई।

3. डा० ओ० पी० घई,
बाल रोग विशेषज्ञ,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
संस्थान,
नई दिल्ली।

4. श्रीमती तारा अली बेग,
अध्यक्षा,
एस० ओ० एस० चिल्डर्न
विलेजिज आफ इण्डिया,
506–507 विशाल भवन,
95, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली।

5. श्रीमती ओमेम मोयोंग देओरी,
अध्यक्षा,
अरूणाचल प्रदेश समाज कल्याण
सलाहकारी बोर्ड,
ईटा नगर–791111,
अरूणाचल प्रदेश।

6. श्रीमती जिज्ञा पार्थ सारथी,
प्रिंसिपल, सरदार पटेल
विद्यालय,
लोधी एस्टेट, रोड नं० 3,
नई दिल्ली–110003,

7. अध्यक्ष,
भारतीय बाल कल्याण परिषद
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली–110002,

8. उपाध्यक्ष,
बाल भवन बोर्ड,
बाल भवन, कोटला रोड,
नई दिल्ली–110002,

9. सिस्टर मेरी अगेन्जा,
महासचिव, आल इंडिया
एसोसिएशन फार क्रिश्चियन
हायर एजूकेशन,
सी–6, कम्यूनिटी सेन्टर,
सफदरजंग डेवेलपमेन्ट एरिया,
नई दिल्ली–110016,

10. डा० पी० के० सेठी
निदेशक, रिहैबीलिटेशन रिसर्च
एण्ड रीजनल लिम्ब फिटिंग
सेंन्टर,
एस० एम० एस० मेडिकल
कालेज हास्पिटल,
जयपुर-2 02004

18–22 राज्य सरकारों के बाल कल्याण के कार्य से सम्बन्धित पांच मंत्री — सदस्य

(1) बाल कल्याण के कार्य-भारी मंत्री, मेघालय।

(2) बाल कल्याण के कार्य-भारी मंत्री, सिक्किम।

(3) बाल कल्याण के कार्य-भारी मंत्री, जम्मू और कश्मीर।

(4) बाल कल्याण के कार्य-भारी मंत्री, महाराष्ट्र।

(5) बाल कल्याण के कार्य-भारी मंत्री, केरल,

23. एक केन्द्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल/ मुख्य आयुक्त— उप राज्यपाल, चण्डीगढ़ — सदस्य

24–25. लोक सभा के दो सदस्य — सदस्य

(1) श्रीमती प्रमिला दण्डवते

(2) श्रीमती केसर बाई और सागर

26. राज्य सभा का एक सदस्य — सदस्य

(1) श्री बहरूल इस्लाम

27. अध्यक्षा — सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

28. निदेशक — सदस्य
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

29. सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय — सदस्य-सचिव

बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :–

(1) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बाद के वर्षों में बच्चों के कल्याण के बारे में गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन, पुनरवलोकन तथा उनके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना :

(2) बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयत्नों का समन्वय और एकीकरण करना।

(3) विभिन्न कार्यक्रमों में की गई प्रगति की आवधिक समीक्षा करना :

(4) वर्तमान सेवाओं मे अन्तरालों का पता लगाना तथा उन अन्तरालो को दूर करने के लिये उपायो का सुझाव देना,

(5) विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उनके बारे में समय-समय पर सुझाव देना ; तथा

(6) बच्चों के कल्याण के कार्य के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता के प्रतीक के रूप में उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करना।

5. बोर्ड की एक स्थायी समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(1)	समाज कल्याण राज्य मंत्री	अध्यक्ष
(2)	वित्त राज्य मंत्री	सदस्य
(3)	योजना आयोग में बाल कल्याण के कार्यभारी सदस्य	सदस्य
(4)	समाज कल्याण उप मंत्री	सदस्य
(5)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	केरल में बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री	सदस्य
(7)	अध्यक्षा, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	सदस्य
(8)	निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	सदस्य
(9)	अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद	सदस्य
(10)	सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय	सदस्य-सचिव

6. बोर्ड तथा बोर्ड की स्थायी समिति के गैर सरकारी सदस्यो का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

7. समाज कल्याण मंत्रालय में एक एकक, बोर्ड तथा बोर्ड की स्थायी समिति का सचिवालय होगा।

8. साधारणतया बोर्ड की एक वर्ष में एक बैठक तथा स्थायी समिति की एक वर्ष में दो बैठकें होंगी।

9. बोर्ड तथा स्थायी समिति के गैर सरकारी सदस्य नियमों के अन्तर्गत उपबन्धित यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिये पात्र होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारतीय राजपत्र में जन साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाए।

मधु सूदन दयाल,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 7th April 1984

ORDER

No. 27/26/83-CL-II.—In pursuance of Clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri P. C. Gupta, Deputy Director (Cost) in the Ministry of Finance, Government of India for the purpose of the said Section 209-A. He will submit his reports to the Department of Company Affairs and will be subject to the control of the said Department in exercise of his powers and discharge of his functions in this regard.

2 The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri T. M. S. Krishnan, Deputy Director (Cost) in the Ministry of Finance *vide* order No. 27/26/83-CL II dated the 26th November, 1983

K. R A. N. IYER, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMNINSTRATIVE REFORMS

RULE'S

New Delhi, the 28th April, 1984

No. 9/1/84-CS II—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in August, 1984 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government. Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes

Order, 1964 the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman, and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism (Hqrs. Estt.) or the Election Commission of India who on the 1st August, 1984 satisfies, the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) Length of Service.

He should have on the 1st August, 1984 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism (Hqrs. Estt.) or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism (Hqrs. Estt.) on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade :

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date an dhe should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade.

NOTE 1. The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Establishment).

NOTE 2. The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

NOTE 3. Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism (Hqrs. Estt.) who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency, issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 4. Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or Department of Tourism (Headquarters Establishment).

(2) Age—

(a) He should not be more than 50 years of age on 1st August, 1984 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August 1934, if he is a permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of any of the Services mentioned in para 1 above.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable —

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and has migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963 ;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof ;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes ;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof ;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes ;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975 ;

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975 ; and

(xvi) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(2) Typewriting Test : Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing)/Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period ;

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them ;

(ii) by the Central Government from any Employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provision in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in four separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number :

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examiination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely, within the competance of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Establishment) or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Establishment) will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part. I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subjects		Maximum Marks	Time allowed
(i) Essay and Precis Writing			
(a) Essay	50	100	2 hours
(b) Precis-Writing	50		
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure		100	2 hours
(iii) General Knowledge		100	2 hours

NOTE.—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the three categories, viz.

(i) C.S.C.S. and Department of Tourism;

(ii) R.B.S.C.S.; and

(iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers, viz. (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5.—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answer for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

1. Essay and Precis Writing :

(a) Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing—Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting and Drafting and Office Procedure.—The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service and Department of Tourism are required to study the manual of Office Procedure Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rules of Procedure and Conduct or Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Services are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding the use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

3. General Knowledge.—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 7th April 1984

RESOLUTION

No. Ref. 4(4)/83.—In partial modification of Govt. of India Resolution No. Ref./4(4)|83 dt. 22-9-83, it has been decided to substitute Shri R. Thanjan, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi as member of Development Panel in place of Shri C. D. Anand, Additional Industrial Adviser, Udyog Bhawan, New Delhi.

It has also been decided to further nominate the following persons on the above mentioned refractory panel:—

(1) Dr. N. R. Sircar
General Manager (Tech),
Bharat Refractories Ltd.,
Post Box No. 1,
Bokaro Steel City-827001.

(2) Mr. K. S. Swaminathan,
Asstt. General Superintendent (Refractories),
Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
Jamshedpur.

(3) A representative of Research & Development Centre.
Steel Authority of India Ltd.,
Ranchi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution to be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for general information

S. D. CHATURVEDI, Director Administration

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 4th April 1984

RESOLUTION

No. 1-2/83-CW.—A National Children's Board was constituted on 3 December 1974 with Prime Minister as President in pursuance of the provisions in the National Policy for Children Resolution dated 22 August 1974 to provide a focus and a forum at the national level, to plan and review and co-ordinate the services to meet the needs of children.

2. The National Children's Board was last reconstituted on 25 May 1981. It continued the functions of the National Commission for IYC in India.

3. In supersession of the earlier orders constituting the National Children's Board, the President is pleased to re-constitute the National Children's Board as follows —

President

1. Prime Minister.

Working Chairman

2. Minister of State for Social Welfare.

Members

3. Minister of Health and Family Welfare.
4. Minister of Finance.
5. Deputy Chairman, Planning Commission.
6. Minister of Labour.
7. Deputy Minister of Social Welfare.

8-17. Ten non-officials with experience in Child Welfare.

(i) Shri Hari Dang
Rector
St. Paul's School
Jalapahar
Darjeeling-734 103.

(ii) Smt. Shanta Gandhi
Vipin Villa
583 Jame Jamshed Road,
Matunga,
Bombay-400 019.

(iii) Dr. O. P. Ghai,
Paediatrician,
All India Institute of
Medical Sciences,
New Delhi-110 029.

(iv) Smt. Tara Ali Baig,
Chairman,
SOS Children Villages of India
506-507 Vishal Bhavan,
95, Nehru Place,
New Delhi-110019.

(v) Smt. Omem Moyong Deori,
Chairman,
Arunachol Pradesh Social Welfare
Advisory Board,
Itanagar-791 111,
Arunachal Pradesh.

(vi) Smt. Vibha Parthasarathi,
Principal,
Sardar Patel Vidyalaya
Lodhi Estate, Road No. 3,
New Delhi-110 003.

(vii) President,
Indian Council for Child Welfare,
4 Deen Dayal Upadhayaya Marg,
New Delhi-110 002.

(viii) Vice-Chairman, Bal Bhavan Board
Bal Bhavan,
Kotla Road,
New Delhi-110 002.

(ix) Sister Mary Braganza,
General Secretary,
All India Association for
Christian Higher Education
C-6, Community Centre,
Safdarjung Development Area,
New Delhi-110016.

(x) Dr. P. K. Sethi,
Director,
Rehabilitation Research and
Regional Limb Fitting Centre,
S.M.S. Medical College Hospital,
Jaipur-302 004.

18-22. Five Ministers of State Governments dealing with Child Welfare

Members

(i) Minister Incharge of
Child Welfare,
Meghalaya.

(ii) Minister Incharge of
Child Welfare,
Sikkim.

(iii) Minister Incharge of
Child Welfare,
Jammu & Kashmir.

(iv) Minister Incharge of
Child Welfare,
Maharashtra.

(v) Minister Incharge of
Child Welfare,
Kerala.

23. Lt Governor/Chief Commissioner of one of the Union Territories,
Lt. Governor of Chandigarh.

Member

24-25. Two Members of Lok Sabha

Members

(i) Smt. Pramila Dandavate.

(ii) Smt. Kesharbai Kshirsagar.

Member

26. One Member of Rajya Sabha

(i) Shri Baharul Islam.

27. Chairman,
Central Social Welfare Board.

28. Director,
National Institute of Public Cooperation & Child Development.

29. Secretary,
Ministry of Social Welfare.

Member Secretary

4. The functions of the Board shall be :—

(i) to plan, review and supervise implementation of the programmes connected with the activities for the welfare of children in the post IYC years;

(ii) to coordinate and integrate the efforts made by different governmental and private agencies engaged in implementing programmes for the welfare of children;

(iii) to periodically review the progress made in the different programmes;

(iv) to locate gaps in the existing services and suggest measures to eliminate such gaps;

(v) to suggest, from time to time, any changes needed in the priorities accorded to the different programmes;

(vi) to act as a high-powered national body to symbolize the commitment of the nation to the work of welfare of children.

5. The Board shall have a Standing Committee of the following members :—

Chairman

(1) Minister of State for Social Welfare.

Members

(2) Minister of State for Finance.

(3) Member Incharge of Child Welfare in Planning Commission.

(4) Deputy Minister of Social Welfare.

(5) A representative of the Ministry of Health & Family Welfare.

(6) Minister Incharge of Child Welfare in Kerala.

(7) Chairman,
Central Social Welfare Board.

(8) Director,
National Institute of Public Cooperation and Child Development.

(9) President,
Indian Council for Child Welfare.

Member Secretary

(10) Secretary,
Ministry of Social Welfare.

6. The term of office of the non-official members on the Board and on the Standing Committee of the Board will be two years.

7. A unit in the Ministry of Social Welfare will form the Secretariat of the Board and the Standing Committee of the Board.

8. The Board shall ordinarily meet once a year and the Standing Committtee twice a year.

9. The non-official members of the Board and the Standing Committee will be eligible for T.A. and D.A. as provided under rules.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. DAYAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984